वित्त निर्देश 35 / 2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 639/एफ 2022–02–00348/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03.10.2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषयः– विभागीय भवनों के प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन

संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 512/एफ 2017–38–01128/वि/नि/चार, दिनांक 15.12.2017 (वित्त निर्देश 64/2017)

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा बजट में नवीन मद के रूप में सम्मिलित ऐसे विभागीय भवन जिनका मानक प्राक्कलन एवं इकाई लागत वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है, उन भवनों के प्रशासकीय स्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार निम्न शर्तो के अधीन प्रशासकीय विभाग को प्रत्यायोजित किया गया हैः–

(अ) संबंधित निर्माण कार्य बजट में नवीन मद के रूप में शामिल हो तथा बजट प्रावधान उपलब्ध हो।

(ब) स्वीकृति की अवधि वित्त विभाग के नवीन मद हेतु वित्तीय सीमाओं के निर्धारण संबंधी ज्ञापन क्रमांक 825/एल–6–6/2010/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 13.5.2011 के बिन्दु क्रमांक 19 (एक) द्वारा नवीन मद के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समयावधि (आगामी वित्तीय वर्ष तक) के अंतर्गत हो।

(स) प्रशासकीय स्वीकृति, वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित मानक इकाई लागत के अनुरूप रहे।

2/ संदर्भित ज्ञापन की कंडिका 2 में उल्लिखित **(H)** पुलिस विभाग की सूची के सरल क्रमांक 1 एवं 2 के मानक इकाई लागत को संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

(H) पुलिस विभाग –

क्र.	भवन	प्रति इकाई लागत (रूपये लाख में)
1.	पुलिस थाना भवन	66.52
2.	पुलिस चौकी भवन	44.83

3/ शर्तें यथावत लागू रहेंगी । यह संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से लागू माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

पृ. क्र 640/एफ 2022–02–00348/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03.10.2023

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव